।।कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर,।।

पत्रांकः– /   दिनांकः 01 अप्रैल, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (पुराना रा0रा0–58) के किमी0 399.00 कर्णप्रयाग से किमी0 460.00 (पातालगंगा) तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 40.8916है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में:–वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/39349/2019.

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0/1686 दिनांक 01.03.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (पुराना रा0रा0–58) के किमी0 399.00 कर्णप्रयाग से किमी0 460.00 (पातालगंगा) तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 40.8916है0 वन भूमि हस्तान्तरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/76/2020/एफ0सी0/778 दिनांक 29.07.2020 से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो में वृक्षारोपण हेतु पूर्व में चयनित क्षेत्रो में से 14 है0 VDF एवं 41 है0 MDF बताया गया क्षेत्रो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0स0	पूर्व में चयनित क्षेत्रो का विवरण	चयनित क्षेत्र का क्षेत्रफल (है0 में)
1.	देवसारी । क0न0 8 मे	4.00
2.	देवसारी ।। क0न0 10अ में	5.00
3.	देवसारी ।। क0न0 1 में	10.00
4.	नवाली चतुर्थ क0न0 7	5.00
5.	नवाली पंचम क0न0 1 अ	5.00
6.	नवाली पचम क0न0 1 अ	6.10
7.	नवाली पंचम क0न0 2	3.00
8.	नवाली क0न0 2	4.00
9.	नवाली क0न0 9	6.00
10	कुंजाकोट । क0न0 4 ब	15.00
11	मैखण्डा ।। क0न0 3 ब	10.00
12	मैखण्डा ।। क0न0 3ब	6.00
13	देवसारी । क0न0 8	3.50
	योग	82.60

उपरोक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा उपरोक्त स्थलो का पूर्व में स्थलीय निरीक्षण कर समस्त क्षेत्रो के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर इस कार्यालय की पत्र सं0 3266/12–1 दिनांक 04.03.2021 से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी को प्रेषित किया गया।

उसके उपरान्त भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/036/76/2020/एफ0सी0/2577 दिनांक 31.03.2021 से उपरोक्त स्थलो हेतु दी गयी उपयुक्तता प्रमाण पत्र के साथ स्थलो में स्थित वृक्षो की सूची सहित प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

जिसके अनुपालन में इस कार्यालय की पत्र सं0 201/12–1 दिनांक 14.07.2021 से महा प्रबन्धक, एन0एच0आई0डी0सी0एल0 को उपरोक्त डिजिटल मैप एवं सी0ए0 के प्राक्कलन एवं वृक्षो की सूची अपलोड करने हेतु लिखा गया, तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून की पत्र सं0 973/FP/UK/Road/39349/2019 दिनांक 11.10.2021 से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया गया।

MOST IMPORTANT

Sri Rajesh Kumar/Sri Ankit

1514

CamScanner

आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक 28.01.2022 के कार्यवृत्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून की पत्र सं0 1910/20–40(आर0ई0सी0) दिनांक फरवरी 2022 से कार्य करने की अनुमति एक वर्ष बढ़ाने हेतु एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल चयन करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशो का अनुपालन करते हुए कुछ पुराने स्थलो के स्थान पर नये क्षेत्रो का चयन कर इस कार्यालय की पत्र सं0 2201/12–1 दिनांक 02.11.2022 से अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून को प्रेषित की गयी, तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून की पत्र सं0 1343/ FP/UK/Road/39349/2019 दिनांक 01.12.2022. से अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय देहरादून को लिखा गया है। अनुपालन आख्या के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रेषित नये चयनित स्थलो का पूर्व में प्रेषित किये गये क्षेत्रो का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	प्रस्ताव में प्रस्तावित एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 3 में अंकित/चयनित क्षेत्रो का विवरण	चयनित क्षेत्र का क्षेत्रफल (है0 में)	क्र0सं0	चयनित नये क्षेत्रो का विवरण	नये क्षेत्रो का क्षेत्रफल (है0में)
1.	देवसारी । क0न0 8	4.00	1	देवसारी । क0न0 8 पार्ट ।	4.00
2.	देवसारी । क0न0 8	3.50	2	देवसारी । क0न0 8 पार्ट ।।	3.50
3	देवसारी ।। क0न0 10अ	5.00	3	देवसारी ।। क0न0 10अ	5.00
4	देवसारी ।। क0न0 1	10.00	4	देवसारी ।। क0न0 1 पार्ट ।	5.00
			5	देवसारी ।। क0न0 1 पार्ट ।।	5.00
5	नवाली चतुर्थ क0न0 7	5.00	6	नवाली चतुर्थ क0न0 7	5.00
6	नवाली पचम क0न0 1 अ	5.00	7	नवाली पंचम क0न0 1अ	5.00
7	नवाली पंचम क0न0 1 अ	6.10	8	नवाली पंचम क0न0 1अ पार्ट ।	3.00
			9	नवाली पंचम क0न0 1अ पार्ट ।।	3.00
8	नवाली पंचम क0न0 2 पार्ट ।	4.00	10	नवाली पंचम क0न0 2 पार्ट ।	4.00
9	नवाली पचम क0न0 2 पार्ट ।।	3.00	11	नवाली पंचम क0न0 2 पार्ट ।।	3.00
10	नवाली पंचम क0न0 9	6.00	12	नवाली पंचम क0न0 9 पार्ट ।	3.00
			13	नवाली पंचम क0न0 9 पार्ट।।	3.00
11	कुंजाकोट । क0न0 4 ब	15.00	14	कुंजाकोट प्रथम, क0न0 4 ब पार्ट ।	5.00
			15	कुंजाकोट प्रथम क0न0 4ब पार्ट।।	5.00
			16	कुंजाकोट प्रथम क0न0 4अ	5.00
12	मैखण्डा ।। क0न0 3 ब पार्ट ।	10.00	17	मैखण्डा ।। क0न0 3ब	10.00
13	मैखण्डा ।। क0न0 3 ब पार्ट ।।	6.00	18	मैखण्डा ।। क0न0 3ब	6.00
	कुल योग	82.60		कुल योग	82.50

उपरोक्त तालिका में पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 82.60 है0 अवनत वन भूमि चयनित की गयी थी, जिसमें तीन क्षेत्र 10.00है0 से अधिक तथा 10 क्षेत्र 10.00है0 से कम के थे, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रो का डी0एस0एस0 Analysis करने पर बड़े क्षेत्रफल वाले क्षेत्र(पैच) VDF एवं MDF पाये गये, जिसमें से केवल 16.00है0 मैखण्डा ।। क0न0 3ब स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया, भारत सरकार द्वारा अवशेष 66.50है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल कम पैचो व VDF व MDF रहित क्षेत्रो का चयन कर भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु VDF रहित अवनत वन भूमि बड़े क्षेत्रफल वाले स्थल(पैच जिसका क्षेत्रफल 10 है0 या 10है0 से अधिक हो) उपलब्ध नही था, इसलिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु छोटे–छोटे क्षेत्रफल वाले अवनत वन भूमि स्थलो (16 पैच) का चयन किया गया।

उपरोक्त नये स्थलो का DSS Analaysis करने पर कुछ स्थल MDF के अन्तर्गत दिखाई दे रहे है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा उक्त स्थलों का दिनांक 04.09.2022, 10.09.2022 एवं 11.09.2022 को सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियो के साथ चयनित स्थलो का स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त क्षेत्रो में कंटीली झाडियों (लैण्टाना, कांलाबासा, किरमोड़ा, कंरौदा आदि) स्थानीय प्रजाति की झाडियां विद्यमान है जो छितरे हुए है जिसके कारण घनत्व अधिक परिलक्षित हो रहा है, परन्तु वास्तव में उक्त क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है, चयनित किये गये स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

CamScanner

उपरोक्त प्रकरण में अवगत कराना है कि उपरोक्त मोटर मार्ग चारधाम परियोजना के साथ ही भारत–चीन सीमा को जोड़ता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है, तथा चारधाम परियोजना मा0 प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु पूर्व में प्रयोक्ता एजेन्सी को एक वर्ष की कार्य करने की अनुमति आर0ई0सी0 समिति द्वारा बढ़ाई गयी, जो दिनांक 22.2.2023 को समाप्त हो गयी है। प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण चारधाम यात्रा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बाधित न हो, के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि चारधाम यात्रा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त नये चयनित स्थलो को वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत करने तथा प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को भेजने की महती कृपा करे, ताकि चारधाम परियोजना के निर्माण कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 5045 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, चमोली को उपरोक्त सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महा प्रबन्धक, (परि0)पी0आई0यू0, एन0एच0आई0डी0सी0एल0, नन्दप्रयाग, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Recvd
15/04/2

CS CamScanner